रा.के.मु.ज.—99–1,00,000–03.

प्रपत्र आर. जी. संख्या 4

राजस्थान सरकार

चिकित्सा (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग

क्रमांक: प. 2(11)आयु./2003 जयपुर, दिनांक 10-11-03

निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
अजमेर ।

विषय :- आयुर्वेद कॉलेज खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्रांक 24641 दिनांक 28-6-03 के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि जे.आर. टाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीगंगानगर द्वारा श्रीगंगानगर में आयुर्वेद कॉलेज प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा इस शर्त पर जारी किया जाता है कि आवेदित संस्था राज्य व केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन हो व विश्वविद्यालय एवं केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सी.सी.आई.एम.) नई दिल्ली एवं केन्द्र सरकार द्वारा आयुर्वेद कॉलेज खोलने हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनसे सम्बद्धता प्राप्त करने के बाद एवं राज्य सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की मांग नहीं करने की स्थिति में प्रवेश प्रारम्भ कर सकेंगे ।

भवदीय,

ह0
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री, आयुर्वेद
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद
3. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली
4. उप कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 82 इन्कम टैक्स कॉलोनी, पावटा सी रोड जोधपुर ।
5. अध्यक्ष जे.आर. टाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट 2-ए-6 सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर ।
6. रक्षित पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव

रा.के.मु.ज.-61-1,00,000-04.

प्रपत्र आर. जी. संख्या 4

राजस्थान सरकार

चिकित्सा (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग

क्रमांक: प.2(11)आयुर्वेद/03 जयपुर, दिनांक: 30.9.04

कुलसचिव,
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
जोधपुर।

विषय : श्रीगंगानगर कालेज आफ आयुर्वेदिक साइन्स, श्रीगंगानगर की सम्बद्धता के संदर्भ में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 4906 दि. 21.9.04 एवं इस विभाग की अनापत्ति क्रमांक प.2(11)आयु/03 दिनांक 10.7.03

महोदय,

श्रीगंगानगर कालेज आफ आयुर्वेदिक साइन्स, श्रीगंगानगर को सम्बद्धता के क्रम में आप द्वारा वांछित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अधिनियम 2002 के नियम 35(4) के तहत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
ह०

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर
3. श्रीगंगानगर कालेज आफ आयुर्वेदिक साइन्स, श्रीगंगानगर

सहायक शासन सचिव

मेल

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :– प.2(22)आयु./2016 जयपुर, दिनांक :– 29 MAR 2016

रजिस्ट्रार
टांटिया यूनिवर्सिटी
गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईन्स हॉस्पिटल
श्रीगंगानगर

विषय :– नवीन महाविद्यालय खोलने/स्नातक पाठ्यक्रम सीट अभिवृद्धि/स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम संचालन हेतु आशय पत्र (Letter of Intent)

प्रसंग :– आपका आवेदन पत्र 2015/1609 दिनांक 29.10.2016

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत निजी क्षेत्र में आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने/स्नातक पाठ्यक्रम सीट अभिवृद्धि/स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम संचालन के बारे में आपका आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं। आवेदन पत्र को परीक्षणोपरान्त आपकी संस्था को आशय पत्र (Letter of Intent) जारी करने का निर्देश हुआ हैं। अब आप निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित करें ताकि आपको आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक महाविद्यालय खोलने/स्नातक पाठ्यक्रम सीट अभिवृद्धि/स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम संचालन के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके –

1. आशय पत्र जारी होने की दिनांक के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में आप आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक कॉलेज स्थापित करने हेतु केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा अद्यतन परिषद् (CCIM)/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (CCH) द्वारा निर्धारित आधारभूत ढाचे संबंधी मापदण्डों की पूर्ति कर तत्संबंधी सूचना इस विभाग को देगें। एक वर्ष की अवधि में अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) प्राप्त न करने की स्थिति मे आशय पत्र स्वतः ही निरस्त हो जावेंगा।
2. आवेदक को केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के मापदण्डों अनुसार आवश्यक आधार भूत संरचनात्मक सुविधाओं सहित बिस्तरों की संख्या के चिकित्सालय का निर्माण कर संचालन करना होगा ताकि प्रवेश होने पर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त चिकित्सा कर्माभ्यास की सुविधा मिल सकें।
3. आवेदक संस्था इस आशय का वचन पत्र देगी कि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् एवं भारत सरकार की पूर्व अनुमति एवं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त ही छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिये आवेदन करना होगा।
5. संस्था को इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के द्वारा महाविद्यालय संचालन हेतु निर्धारित योग्यताधारक शिक्षको को नियुक्ति देगी।
6. संस्था को इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय स्थापित करने हेतु वह वित्तीय रूप से सक्षम हैं।

7. संस्था को इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि वह कर्मचारी प्रोवीडेंट फण्ड का सृजन करेगी तथा आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कर्मचारियों के कल्याण कार्यक्रम में सहयोग करेगी।
8. संस्था को इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि संस्था केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्/भारत सरकार/न्यायालय/राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगी। किसी भी शर्त का उल्लघन करने पर संस्था पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
9. संस्था को इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि वह आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक महाविद्यालय परिसर में अन्य गतिविधियां संचालित नहीं करेगी अर्थात् निर्धारित पाठ्यक्रम का ही अध्यापन कराया जावेगा।
10. मापदण्डों की पूर्ति होने संबंधी सूचना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर-अन्दर इस विभाग द्वारा गठित निरीक्षण दल तत्समय CCIM/CCH द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति की जांच कर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। निर्धारित मापदण्डों व शर्तो की पूर्ति की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाकर संस्था को नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
11. आशय पत्र विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यक शुल्क प्राप्ति के अध्याधीन रहेगा।
12. आशय पत्र के आधार पर आवश्यक स्वीकृति हेतु CCIM/CCH एवं RAU को आवेदन किया जा सकेगा।

(सेवा राम स्वामी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
4. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली।
5. सचिव, केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् नई दिल्ली।
6. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव